



KERU SIKSHAN SANSTHAN, JODHPUR

Registered by Rajasthan Sanstha Registration Act, 1958

Village-Post Keru - 342 031, Distt. Jodhpur (Rajasthan) (India)

Website : ksskeru.com

Ref. No. : 502

Date : 02/01/2023

☐

Chief Advisor

Dr. A.S. Faroda

- ♦ Ex. Vice Char.cellor
M.P.U. Udaipur
- ♦ Ex. Chairman
N.K.V.S.B., New Delhi

☐

Director

Dr. D.V. Singh

- ♦ Prof. (Retd.)
M.B.M. Engg. College
Jodhpur ☎ 0291-2430539

☐

Patron

Prof. B.P. Pathik

- ♦ M.A. (Eng.) M.A. (Psychology)
M.Ed.
(M) 94604 - 66225

☐

President

H.R. Choudhary

- ♦ B.A. L.L.B.
(M) 94138 - 48810

☐

Vice President

O.P. Choudhary

- ♦ (M) 80036 - 80455

☐

Secretary

Vikash Choudhary

- ♦ B.Se., L.L.B.
(M) 94144 - 78563

☐

Treasurer

L.P. Tayal

- ♦ B.A. L.L.B.
(M) 94141 - 00352

सेवा में,

श्रीमान आयुक्त महोदय, / उपायुक्त महोदय

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर।

विषय :- केरु शिक्षण संस्थान को खसरा नम्बर 910 में से 2 बीघा

भूमि आवंटन बाबत।

महोदय,

1. केरु शिक्षण संस्थान वर्ष 1993-94 से पश्चिमी राजस्थान का शिक्षा क्षेत्र में कई उपलब्धियों के साथ शिक्षा क्षेत्र में कई कीर्तिमान बनाये है।

2. केरु शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाएँ संचालित है। जैसे :-

1. श्री रूपाराम प्राथमिक बाल विद्या मंदिर, केरु।
2. श्री रूपाराम उच्च माध्यमिक बाल विद्या मंदिर, केरु।
3. सेवदा पब्लिक सैकण्डरी स्कूल, केरु (अंग्रेजी माध्यम)।
4. रूपाराम सेवदा महाविद्यालय, केरु, जोधपुर।
5. केरु महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर।
6. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से संबद्धता : अध्ययन केन्द्र (जहाँ प्रत्येक वर्ष भर में लगभग 40 से 50 हजार विद्यार्थी परीक्षा देने आते है।)
7. केरु शिक्षण संस्थान में स्थायी कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु RS- CIT ज्ञान केन्द्र भी संचालित है।

3. श्रीमान केरु शिक्षण संस्थान वर्ष 1993-94 से 2022 तक 29 वर्षों से इस क्षेत्र के करीब 40-50 गाँवों व ढाणियों से आने वाले विधवाओं व जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देता आ रहा है। जिनकी कुल माफ फीस लगभग 2 करोड़ रुपये बनती है।

4. संस्थान द्वारा संचालित संस्थाओं के परीक्षा परिणाम बोर्ड में शत-प्रतिशत रहता है। इस वर्ष 18 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार मिले है।



KERU SIKSHAN SANSTHAN, JODHPUR

Registered by Rajasthan Sanstha Registration Act, 1958

Village-Post Keru - 342 031, Distt. Jodhpur (Rajasthan) (India)

Website : ksskeru.com

Ref. No. : 592

Date : 02/01/2023



Chief Advisor

Dr. A.S. Faroda

- ♦ Ex. Vice Chancellor
M.P.U. Udaipur
- ♦ Ex. Chairman
N.K.V.S.B., New Delhi



Director

Dr. D.V. Singh

- ♦ Prof. (Retd.)
M.B.M. Engg. College
Jodhpur ☎ 0291-2430539



Patron

Prof. B.P. Pathik

- ♦ M.A. (Eng.) M.A. (Psychology)
M.Ed.
(M) 94604 - 66225



President

H.R. Choudhary

- ♦ B.A. L.L.B.
(M) 94138 - 48810



Vice President

O.P. Choudhary

- ♦ (M) 80036 - 30455



Secretary

Vikash Choudhary

- ♦ B.Se., L.L.B.
(M) 94144 - 78563



Treasurer

L.P. Tayal

- ♦ B.A. L.L.B.
(M) 94141 - 00352

5. इस संस्थान से सैकड़ों छात्र/छात्राएँ राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। जैसे :- आई.आई.टी. भारतीय इंजिनियरिंग सेवा, मेडीकल, बैंकिंग सर्विस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, BSF शिक्षक, पटवारी, राजस्थान पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी, आयकर विभाग, कस्टम विभाग, इत्यादि पदों पर पदासीन हैं तथा एक अच्छे स्कारवान नागरिक तैयार हुए हैं।
6. ग्रामीण क्षेत्र के इस संस्थान में देश-विदेश के नामी हस्तियों का आवागमन होता रहा है। इसमें राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद्, न्यायधिपति, वाइस चांसलर, समाजसेवी व कई संगठनों का सहयोग रहता है। जिसका सम्पूर्ण विवरण संस्थान की बुकलेट में सादर प्रस्तुत है।
7. संस्थान की पट्टासुद जमीन पर भव्य इमारत बनी हुई है। खसरा नम्बर 906/3 व 906/2 में संस्थान का भवन बना हुआ है। जिसमें सभी प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी, पानी व्यवस्था तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों वृक्ष लगाये गये हैं।
8. संस्थान जोधपुर डिवीजन का सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षाओं का केन्द्र रहा है। जहाँ RPSC, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, BSF, राजस्थान उच्च न्यायालय, PTET, BSTC जैसी परीक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन करता रहा है। RAS Pree में लगभग 2300 प्ररीक्षाथियों का परीक्षा केन्द्र रहा है।
9. संस्थान समय समय पर समाजसेवा जैसे : रक्तदान शिविर, मेडीकल कैम्प, सेमीनार, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान मालाये आयोजित करता रहता है। वर्ष 2017-18 में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन जिसमें जिले के 400 प्राचार्यों ने भाग लिया, संस्थान ने राज्य स्तरीय छात्राएँ खेलकुद प्रतियोगिता आयोजन करवाई।

आदरणीय महोदय संस्थान के भवन के आगे खाली पड़ी 910 खसरा की राजकीय भूमि है। जहाँ संस्थान को खेल मैदान व भवन निर्माण की सख्त जरूरत है।

उक्त सभी बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संस्थान आपसे करबद्ध सादर अनुरोध करता है कि उक्त 2 बीघा भूमि निःशुल्क व JDA के आधारित दर से 25 प्रतिशत दर से आवंटित करवाना की कृपा करावे। ^{आवश्यक}
संस्थान आपका सदैव आभारी रहेगा।

दिनांक : 02.01.2023

आपका

हनुमान राम चौधरी

(9413848810)

अध्यक्ष

(केरु शिक्षण संस्थान, जोधपुर)

केरु शिक्षण संस्थान

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम **केरु शिक्षण संस्थान, केरु, जोधपुर (रजिस्ट्रार संस्था)**
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) **श्री हनुमान राम चौधरी**
3. डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी. **ग्राम पोस्ट केरु वाघा खूसागर तहसील**
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य **विद्यार्थियों के लिए खेद मैदान व भवन** **M-9413848810 जोधपुर**
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) **संलग्न**
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण - **N.A -**
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज **खसरा नं. 910 सरकारी**
 - ✓ i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - ✓ ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन
 - ✓ iii. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
 - ✓ iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
 - ✓ v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 - ✓ vi. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिक्षापी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-वेधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को ज़ब्त में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :
स्थान : **जोधपुर**
नाम व पद


अध्यक्ष
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
केरु शिक्षण संस्थान
जोधपुर (राज.)

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	कैक शिक्षण संस्थान
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	कैक - लोचपुर
चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	910 सरकारी - 2 बीघा
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	स्कूल से जुड़ी हुई (खेल मैदान)
संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	11/4/लोचपुर 1992-93
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

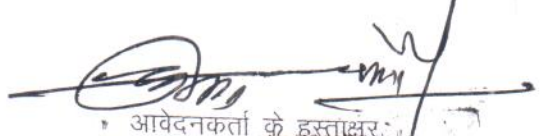
परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	सभी वर्गों को
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोट्स	
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	- N. A -
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	- N. A -
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
चाही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	/
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	/
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	/
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण	/
यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	- N. A -
अन्य विवरण	

सार्वजनिक, सामाजिक संस्थाओं/एनजीओ/निजी स्कूल/निजी चिकित्सालय आदि के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं चैक लिस्ट :-

चैक लिस्ट

क्र.सं.	विषय वस्तु	विवरण अंकित करें
1.	आवेदन-पत्र का प्रारूप (✓) का निशान लगावे	अ/ब/स/द
2	आवेदित संस्था का नाम एवं पता अंकित करें	कै.सि. विद्यालय संस्थान, कै.सि. जौनपुर
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन का विवरण अंकित करें	रजिस्ट्रेशन क्रमांक 114/जौनपुर दिनांक 04/01/1993 रजिस्ट्रेशन करने वाले पदाधिकारी रजिस्ट्रार संस्थान
4	आवेदित भूमि का विवरण अंकित करें (अ) ग्राम :- (ब) ख.नं. (स) कुल रकबा (द) किस्म (य) आवेदित रकबा	कै.सि. 910 (सरकारी)
5	भूमि आवंटन का प्रयोजन अंकित करें	2 कीटा स्कूल से जुड़ी हुई भूमि-नाहिये खेल मैदान एवं भवन निर्माण
6.	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें। I. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी II. बाईलॉज/रेग्यूलेशन की प्रतिलिपी III. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट/बैलेन्स शीट वर्ष की प्रतिलिपियां IV. संस्थान का भूमि आवंटन के लिये लिया गया प्रस्ताव की प्रतिलिपी जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो V. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) जिसमें चाही गयी भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत विवरण अंकित हो एवं निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेश हो संलग्न करें।(2.6) a) भूमि आवंटन का स्पष्ट प्रयोजन b) परियोजना के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता। c) उस पर प्रस्तावित निर्माण का विवरण मय निर्मित क्षेत्रफल d) वित्तिय लागत अनुमान e) भवन का उपयोग किन उद्देश्यों के लिये किया जायेगा f) निर्माण शुरू करने एवं पूरा किये जाने का निर्धारित समय g) परियोजना के लिये आवश्यक आर्थिक संसाधन VI. प्रोजेक्ट से समाज के किन वर्गों को लाभ मिलेगा तथा किस प्रकार से मिलेगा का विवरण संलग्न करें। (2.8) VII. अनुभव एवं वित्तीय मापदण्ड की सूचना/विवरण संलग्न करें जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश हो:- (2.5) a) पूर्व में किये गये कार्यों का विवरण मय लागत b) वर्तमान में किये जा रहे कार्यों की वस्तुस्थिति तथा इसके समाज को लाभ का विवरण c) प्रस्तावित कार्य पूर्ण करने हेतु आर्थिक एवं तकनीकी क्षमता d) संस्था की आर्थिक स्थिति e) प्रस्तावित कार्य हेतु राशि की आवश्यकता एवं आवश्यक राशि किस स्रोत से प्राप्त होगी।	1. वर्ष 2020 2. वर्ष 2019 3. वर्ष 2018 प्रस्ताव के अनुसार अधिकृत व्यक्ति का नाम हनुमान राम-जौनपुरी एवं पदनाम अध्यक्ष (कै.सि. विद्यालय संस्थान) खेल मैदान

	VIII. आवेदक संस्थान को राज्य सरकार या स्थानीय निकाय से कही भी भूमि प्राप्त हुई हो तो उसका पूर्ण विवरण तथा उसके उपयोग की वर्तमान स्थिति व विवरण प्रस्तुत करें। (2.7) IX. आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण संलग्न करें X. आवेदन संस्था के पदाधिकारी/ सदस्यों/ प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें। XI. यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण XII. यदि आवेदक संस्था द्वारा भारतसरकार/ राज्यसरकार /अन्य वितीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण संलग्न करें यदि सहायता प्राप्त नहीं की जा रही हो तो शपथ पत्र प्रस्तुत करें। XIII. आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न कर विवरण अंकित करें	- No - ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि बैंक का नाम	
7.	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य/प्रयोजन तथा आवंटन नीति-2015 के बिन्दु संख्या 2.9 के अन्तर्गत यह आवेदन आता है। उक्त बिन्दु के अनुसार आवंटन योग्य भूमि की निर्धारित सीमा	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु निशक्तजन/मूक-बधिरों के विद्यालय हेतु छोट अस्पताल (25-50 शैयाओं तक) सामुदायिक केन्द्र वृद्धाश्रम/अनाथ आश्रम वाल्मिकी भवन, कुष्ठाश्रम, प्रेस क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय, दाघनालय, धर्मशाला, कामकाजी महिला छात्रावास, रैन बसेरे, बस शैल्टर रामशान, कब्रिस्तान	2000 वर्गमीटर तक 4000 वर्गमीटर तक 2000 वर्गमीटर तक 3000 वर्गमीटर तक 1500 वर्गमीटर तक 1000 वर्गमीटर तक 1000 वर्गमीटर तक 3000 वर्गमीटर तक
8	यदि आवंटन नीति के तहत निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है तो अधिक क्षेत्रफल हेतु भूमि आवंटन का औचित्य प्रस्तुत करें।		
9.	क्या संस्था को पूर्व में इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी यदि हां, तो निकाय जिसके द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल अंकित करें।	नहीं।	
10.	आवेदन पत्र एवं संलग्न समस्त दस्तवेजों पर अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रमाणीकरण है अथवा नहीं।	है।	


 आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
अध्यक्ष
 केरु शिक्षण संस्थान
 जोधपुर (राज.)



KERU SIKSHAN SANSTHAN, JODHPUR

Registered by Rajasthan Sanstha Registration Act 1958

Village-Post Keru - 342024, Distt. Jodhpur (Raj.) India

Website : ksskenr.com

Ref. No. :

Date ...8/2/2023

Chief Advisor

Dr. A.S. Faroda

- Ex. Vice Chancellor
M.P.U. Udaipur
- Ex. Chairman
N.K.V.S.B. New Delhi

Director

Dr. D.V. Singh

- Prof. (Retd.)
M.B.M. Engg. College
Jodhpur Ph.: 0291-243639

Patron

Prof. B.P. Pathak

- M.A. (Eng.),
M.A. (Psychology)
M.Ed.
(M) 96504-66225

President

H.R. Choudhary

- B.A., LL.B.
(M) 94138-48810

Vice President

O.P. Choudhary

- (M) 80038-80455

Secretary

Vikas Choudhary

- B.Sc., LL.B.
(M) 94144-78563

Treasurer

L.P. Tayal

- B.A., LL.B.
(M) 94141-00352

सेवा में

श्रीमान् आयुक्त महोदय

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर

विषय:- केरु शिक्षण संस्थान बाबत्
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि केरु शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत निम्न संस्थाओं का संचालन हो रहा है ।

- (1) श्री रूपाराम उ.मा.बाल विद्या मन्दिर केरु
- (2) सेवदा पब्लिक सैकण्डरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम)
- (3) श्री रूपाराम प्रा.बाल विद्या मन्दिर केरु
- (4) केरु महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
- (5) रूपाराम सेवदा महाविद्यालय केरु
- (6) स्टेडी सेन्टर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा
- (7) RS-CIT केन्द्र केरु

वास्ते सुचनार्थ प्रस्तुत है ।

अध्यक्ष
केरु शिक्षण संस्थान
जोधपुर (राज.)